क्षेत्रीय कार्यालय उपनिदेशक(निर्माण)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0
10 वॉ तल संगम प्लेस सिविल लाइन्स,इलाहाबाद

पत्रांकःनि0–10/नि0प्र0पत्रा0/2011–592 दिनांकः 04 जुलाई ,2011

::–अल्पकालीन निविदा सूचना ::–

मंडी परिषद् निर्माण खण्ड,इलाहाबाद क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका में अंकित कार्य के निर्माण हेतु मुहरबन्द निविदां मंडी परिषद् में पंजीकृत तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ ठेकेदारों से दिनांकः 21.07.2011.को अपरान्ह् 3.00 बजे तक कार्यालय में आमंत्रित की जाती है,जो उसी दिन 3.30 बजे अपरान्ह् तक उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी । निविदाएँ खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय अवधि में इस कार्यालय ,भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद एवम् सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) मंडी परिषद्, इलाहाबाद कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । केवल शील्ड निविदाएँ ही मान्य होगी :–

क0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत रू0 लाख में	धरोहर धनराशि रू0लाख में	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का विक्रय मूल्य (बिक्रीकर सहित)	निविदा की वैधता	ठेकेदार की श्रेणी
मण्डी समिति जहानाबाद जनपद फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत							
1	ग्रामीण मण्डी पहाड़पुर (बजगवॉ)	39.85	3.99	6–माह	1125.00	03–माह	"स"

नोटः– (1) निविदा कय के समय फॉर्म टी–6 देना अनिवार्य होगा ।

(2) आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति व जनजाति) के ठेकेदारों को निविदा के साथ कार्य के लागत का 2% धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0 आर0/सी0 डी0आर0 के रूप में प्रत्येक कार्य हेतु पृथक–पृथक देय होगी ।

(3) परिषद् पत्रांकः मु0अभि0/(5044) 2010–149 दिनांकः 18.4.2010 द्वारा प्राप्त निर्देश के कम में निविदा प्रपत्र मंडी परिषद् के अलावा श्रम विभाग में पंजीकृत ठेकेदार को ही निर्गत किया जायेगा तथा प्राधिकृत निर्माण लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) धनराशि की नियमानुसार कटौती की जायेगी

(4) अन्य नियम व शर्ते कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी व पढ़ी जा सकती है तथा निविदायें सीधे संगणक, मंडी परिषद्, निर्माण खण्ड, इलाहाबाद से प्राप्त की जा सकती है ।

उपनिदेशक(निर्माण)
for मंडी परिषद्,इलाहाबाद

नियम व शर्ते :–

1 निविदा प्रपत्र डाक द्वारा रू0–50.00 (रू0 पचास मात्र) अतिरिक्त डाक व्यय एवं निर्धारित धरोहर देने पर भेजे जा सकते है, लेकिन डाक द्वारा निविदा पपत्र समय से प्राप्त न होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी ।

2 निविदा प्रपत्र निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक विक्रय किये जायेगें

3. परिषद् के सक्षम अधिकारी द्वारा निविदाऐं बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है ।

4. कार्य की मदे या मात्रायें निविदा स्वीकृति से पूर्व या बाद में घटाने/बढाने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा ।

5. निविदा मण्डी परिषद् में पंजीकृत तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ ठेकेदारों को ही निर्गत की जायेगी ।

6. बिक्रीकर/आयकर विभाग के अध्यादेश के अनुसार बिक्रीकर एवं आयकर की कटौती ठेकेदार के बिलों से की जायेगी ।

7. अनुबन्ध करते समय निर्धारित प्रकिया के अनुसार निर्धारित धनराशि के स्टाम्प पेपर स्टाम्प ड्यूटी के रूप में देने होगें ।

8. निविदा के साथ रू0–100.00 का स्टाम्प पेपर एवं रू0 1.00 की रसीदी टिकट देना होगा

9. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।

10. आइटमवाईज दरें मान्य नहीं होगी । निविदादाताओं द्वारा कार्य की कुल लागत पर प्रतिशत दर ही निविदा में दी जायेगी ।

11. विभाग में मैक्सफाल्ट उपलब्ध रहने पर ठेकेदार को निर्गत किया जायेगा,अन्यथा की स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।

12. धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में प्रत्येक कार्य हेतु पृथक–पृथक देय होगी,जो उपनिदेशक(निर्माण) ,राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0 इलाहाबाद के पक्ष में बंधक होगी जो निविदा प्रपत्र क्रय करते समय रू0 40.00 लाख तक के कार्यो हेतु 10% एवं रू0 40.00 लाख से अधिक पर 5 % आरक्षित श्रेणी(अनुसूचित जाति/जनजाति) को 2% की दर से जमा करना अनिवार्य होगा ।

13. अनुबन्ध का गठन कुल 10 % धरोहर धनराशि जमा करने के उपरांत ही किया जायेगा । अराक्षित श्रेणी(अनुसूचित जाति/जनजाति) के ठेकेदारों के पक्ष में अनुबन्ध का गठन कुल 2% धरोहर धनराशि जमा करने के उपरांत किया जायेगा तथा 8% की धनराशि उनके चालू देयको से कटौती की जायेगी ।

14. निविदा खुलने के उपरांत किसी भी दशा में निगोशिएशन नहीं किये जायेगें,निविदा में देय दर ही अंतिम मानी जायेगी ।

15. निविदा क्रय करते समय ठेकेदार को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके पास कितनी धनराशि के कार्य आवंटित है एवं कितनी धनराशि का कार्य अवशेष है, का प्रमाण पत्र सम्बन्धित उपनिदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद,उ0प्र0 द्वारा निर्गत किया गया हो । उक्त प्रमाण पत्र/पत्रों के अभाव में निविदा निर्गत नहीं की जायेगी

16. निविदा में दी जाने वाली दरें दशमलव के बाद से दो अंकों तक ही मान्य होगी ।

17. निविदा क्रय करते समय सम्बन्धित ठेकेदार को अपने पंजीकरण की प्रमाणित प्रति फोटो सहित साथ संलग्न करना होगा तभी नियमानुसार निविदा प्रपत्र की बिक्री/प्रवेश की अनुमति दी जायेगी ।

18. कार्य मण्डी समिति को हस्तगत करने के बाद ही अंतिम देयक का भुगतान किया जायेगा अन्य नियम व शर्ते जो समय–समय पर विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी मान्य होगी ।

19. निविदा की वैधता तीन माह होगी ।

20. शील्ड निविदा ही स्वीकार की जायेगी ।

21. निविदा की दर में दशमलव के पूर्व शून्य अंकित न होने पर 0 से 2 % के मध्य दर होने पर अवैध मानी जायेगी ।

22. जिन ठेकेदारों के पंजीकरण में प्रमाण पत्र सत्यापन के समय फर्जी पाये जायेगें उन ठेकेदारों को निविदा निर्गत नहीं की जायेगी ।

23. निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उप खनिजों मिट्टी,बालू,मोरम,पत्थर व गट्टी) आदि में की जा रही रायल्टी भुगतान कर वैध रवन्ना (एम0 एम0–11) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आपके देयक से रायल्टी की धनराशि नियमानुसार काट ली जायेगी,जिसके लिये आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा ।
24. 10 प्रतिशत जमानत धनराशि कार्य पूर्ण होने की तिथि से 06 माह अथवा एक वर्षा ऋतु समाप्त होने तक बंधक रहेगी तथा इस बीच मार्ग के क्षतिग्रस्त एवं टूट–फूट होने पर उसकी मरम्मत की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी ।
25. निविदा कय के समय फार्म टी0–6 देना अनिवार्य होगा ।
26. कार्य आवंटन के पश्चात् 60 दिन के अंदर ठेकेदार को श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा ,तथा प्राधिकृत निर्माण लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) धनराशि का नियमानुसार ठेकेदार के देय से कटौती की जायेगी

उपनिदेशक(निर्माण)
मंडी परिषद,इलाहाबाद

क्षेत्रीय कार्यालय उपनिदेशक(निर्माण)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0
10 वॉ तल संगम प्लेस सिविल लाइन्स,इलाहाबाद

पृष्ठाकंन संख्या – 592 तद्दिनांक: 04-7-11

प्रतिलिपिः– अधोलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी ,फतेहपुर ।.
2. मुख्य अभियन्ता,राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0,लखनऊ ।
3. निजी सचिव,निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0,लखनऊ ।
4. निजी सचिव,अपर निदेशक(प्रशासन), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,लखनऊ ।
5. अपर मुख्य अभियन्ता, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0,लखनऊ ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0,लखनऊ ।
7. वित्त नियंत्रक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0,लखनऊ ।
8. सम्भागीय उपनिदेशक(प्रश0/विप0), राज्यकृषि उत्पादनमण्डीपरिषद,उ0प्र0, इलाहाबाद
9. समस्त उपनिदेशक(निर्माण), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0,..................
10. सभापति/सचिव ,कृषि उत्पादन मण्डी समिति ,जहानाबाद ।
11. जन सम्पर्क अधिकारी , राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0,लखनऊ ।
12. समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता /संगणक/सहायक लेखाधिकारी ,मण्डी परिषद,इलाहाबाद ।
13. शाखा प्रबन्धक,स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,सिविल लाइन्स,इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्तानुसार निविदा विकय हेतु आवश्यक प्रबंध करने का कष्ट करें,साथ ही बिकी से प्राप्त निविदा मूल्य को कार्यालय के खाता संख्या–30394476204 में जमा करते हुये निविदा के साथ धरोहर धनराशि का एफ0डी0आर0 /एन0एस0सी0 एवं अवशेष निविदा प्रपत्र सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
14. समस्त पंजीकृत ठेकेदार,निर्माण खण्ड,मंडी परिषद,इलाहाबाद ।
15. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
16. नजारत अनुभाग को नोटिस बोर्ड पर चस्ता हेतु ।
17. सिस्टम मैनेजर ,मण्डी परिष्द,मुख्यालय,लखनऊ को बेबसाइट हेतु ।
18. निदेशक ,सूचना विभाग,उ0प्र0,लखनऊ

उपनिदेशक(निर्माण)
मंडी परिषद,इलाहाबाद